भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1964
31 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना का विस्तार

†1964. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में इसकी शुरूआत से अब तक सहायता प्राप्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और समूहों (एसएचजी,एफपीओ,सहकारी समितियों) की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऋण- सम्बद्ध राजसहायता, आरंभिक पूंजी, सामान्य अवसंरचना और ब्रांडिंग/विपणन सहायता के लिए स्वीकृत इकाइयों की श्रेणीवार और घटकवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2020-21 से अब तक इस योजना के अंतर्गत वर्षवार कुल कितनी निधि स्वीकृत और संवितरित की गई है;

(घ) क्या सरकार का पीएमएफएमई योजना को वर्तमान अवधि से आगे जारी रखने या विस्तारित करने का विचार है और यदि हॉ, तो प्रस्तावित विशिष्ट समय-सीमा क्या है, वित्तीय परिव्यय कितना है और संशोधित लक्ष्य क्या है; और

(ङ) वर्ष 2020-21 से वर्ष-वार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) कितना है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका हिस्सा कितने प्रतिशत है और इसने कितना रोजगार प्रदान किया है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, 30 जून 2025 तक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और समूहों (एसएचजी, एफपीओ, सहकारी समितियों) को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 1,44,517 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत ऋणों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत ऋणों की संख्या
वित्त वर्ष 2020-21	0
वित्त वर्ष 2021-22	3218
वित्त वर्ष 2022-23	28492
वित्त वर्ष 2023-24	54594
वित्त वर्ष 2024-25	50875
वित्त वर्ष 2025-26	7338
कुल	**1,44,517**

(ख): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, 30 जून 2025 तक अनुमोदित इकाइयों की घटक और श्रेणीवार कुल संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	घटक	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1.	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी	1,44,517	11501.79 *
	सामान्य	49,035	10629.26

	अनुसूचित जाति	12,361	609.39
	अनुसूचित जनजाति	7,566	263.14
2.	प्रारंभिक पूंजी **	3,48,907	1182.48
3.	सामान्य अवसंरचना **	93	187.20
4.	ब्रांडिंग और मार्केटिंग **	27	82.82

* स्वीकृत ऋण राशि

**

*****स्वीकृत ऋण राशि

******इन घटकों का श्रेणीवार विभाजन नहीं रखा गया है

(ग): 30 जून 2025 तक योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए वर्षवार केंद्र के हिस्से का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**जारी केंद्र हिस्से की राशि (करोड़ रुपये में)**
वित्त वर्ष 2020-21	367.6
वित्त वर्ष 2021-22	297.44
वित्त वर्ष 2022-23	268.52
वित्त वर्ष 2023-24	765.3
वित्त वर्ष 2024-25	1142.6
वित्त वर्ष 2025-26	949.63
कुल	**3791.1**

(घ): तृतीय पक्ष द्वारा पीएमएफएमई योजना के मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन में पीएमएफएमई योजना को उसकी वर्तमान अवधि से आगे भी जारी रखने की सिफ़ारिश की गई है। हालाँकि, आज तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने इस संबंध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ङ): नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2020-2021 से भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जीवीए और रोजगार निम्नानुसार है:

वर्ष	**2020- 21**	**2021- 22**	**2022- 23**	**2023- 24**
सकल मूल्य संवर्धन(जीवीए) # (लाख करोड़ रु. में)	1.96	1.90	2.08	2.24

#राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार

वर्ष	**2020- 21**	**2021- 22**	**2022- 23**
एफपीआई में रोज़गार ##	2036874	2068048	2296654

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार

इसके अतिरिक्त, एफपीआई का जीवीए देश के समग्र जीवीए का 1.39% है।

****